डाक-व्यय की पूर्व अदायगी के बिना डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत. अनुमति-पत्र क्र. रायपुर-सी.जी.

पंजीयन क्रमांक रायपुर डिवीजन

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 167] रायपुर, गुरुवार, दिनांक 2 अगस्त 2001—श्रावण 11, शक 1923

छत्तीसगढ़ विधेयक

(क्रमांक 23 सन् 2001)

छत्तीसगढ़ चिकित्सा मंडल (संशोधन) विधेयक, 2001

विषय-सूची

खण्ड :

छत्तीसगढ़ विधेयक

(क्रमांक 23 सन् 2001)

छत्तीसगढ़ चिकित्सा मंडल (संशोधन) विधेयक, 2001

छत्तीसगढ़ चिकित्सा मंडल अधिनियम, 2001 (क्रमांक 7 सन् 2001) में संशोधन करने के लिए विधेयक.

भारत गणराज्य के बावनवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप से यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ.

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम, छत्तीसगढ़ चिकित्सा मंडल (संशोधन) अधिनियम, 2001 है.
(2) इसका विस्तार संपूर्ण छत्तीसगढ़ के लिये है.
(3) यह ऐसी तारीख से प्रवृत्त होगा जो राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा नियत करे.

"प्रैक्टीशनर इन माडर्न मेडिसिन एवं सर्जरी" शब्दों के स्थान पर "प्रैक्टीशनर इन आल्टरनेटिव मेडिसिन" शब्दों की प्रतिस्थापना.

2. (1) छत्तीसगढ़ चिकित्सा मंडल अधिनियम, 2001 और उसकी अनुसूची में जहां कहीं पर भी शब्द "प्रैक्टीशनर इन माडर्न मेडिसिन एवं सर्जरी" उल्लिखित है के स्थान पर शब्द "प्रैक्टीशनर इन आल्टरनेटिव मेडिसन" प्रतिस्थापित किये जायें.

"भेषज एवं शल्य चिकित्सा" शब्दों के स्थान पर "प्रैक्टीशनर इन आल्टरनेटिव मेडिसिन" शब्दों की प्रतिस्थापना.

3. (1) छत्तीसगढ़ चिकित्सा मंडल अधिनियम, 2001 में जहां कहीं पर भी शब्द "भेषज एवं शल्य चिकित्सा" उल्लिखित है के स्थान पर शब्द "प्रैक्टीशनर इन आल्टरनेटिव मेडिसिन" प्रतिस्थापित किये जायें.

"मेडिकल डिप्लोमा" शब्दों के स्थान पर "प्रैक्टीशनर इन आल्टरनेटिव मेडिसिन" शब्दों की प्रतिस्थापना.

4. (1) छत्तीसगढ़ चिकित्सा मंडल अधिनियम, 2001 में जहां कहीं पर भी शब्द "मेडिकल डिप्लोमा" उल्लिखित है के स्थान पर शब्द "प्रैक्टीशनर इन आल्टरनेटिव मेडिसिन" प्रतिस्थापित किये जायें.

धारा 2 की उप-धारा (ग) का नवीन उप-धारा (ग) से प्रतिस्थापन.

5. (1) छत्तीसगढ़ चिकित्सा मंडल अधिनियम, 2001 की धारा 2 (ग) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाय :—

"2(ग) 'चिकित्सा' से अभिप्रेत है, आल्टरनेटिव मेडिसिन, और उसकी समस्त शाखाएं परंतु इसमें एलोपैथिक, होम्योपैथी, आयुर्वेद, नैचुरोपैथी एवं यूनानी चिकित्सा तथा पशु चिकित्सा एवं पशु शल्य चिकित्सा शामिल नहीं है."

धारा 4 की उप-धारा (1) के खंड (ii) में संशोधन.

6. (1) छत्तीसगढ़ चिकित्सा मंडल अधिनियम, 2001 की धारा 4 की उप-धारा (1) के खंड (ii) में उल्लिखित शब्द पांच के स्थान पर शब्द चार प्रतिस्थापित किया जाय.

(2) छत्तीसगढ़ चिकित्सा मंडल अधिनियम, 2001 की धारा 4 की उप-धारा (1) के खंड (ii) का उपखंड (क) विलोपित किया जाय.

उद्देश्यों तथा कारणों का कथन

1. छत्तीसगढ़ के दूरस्थ अंचलों में चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करने की अत्यधिक आवश्यकता है. राज्य में अर्हता प्राप्त चिकित्सा की बहुत कमी है. परिणामस्वरूप अनेक बिना अर्हता प्राप्त व्यक्तियों ने दूरस्थ अंचलों में चिकित्सा का व्यवसाय शुरू कर दिया है. भेषज और शल्य चिकित्सा सुविधाएं अपर्याप्त होने के कारण ऐसे दूरस्थ क्षेत्रों में वैकल्पिक चिकित्सा पद्धतियों में प्रशिक्षित व्यक्तियों की नितांत आवश्यकता है. प्रदेश में वैकल्पिक चिकित्सा शिक्षा के पाठ्यक्रमों की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिये मापदंडों का निर्धारण आवश्यक हो गया है. अत: वैकल्पिक चिकित्सा का पाठ्यक्रम प्रारंभ करने और वैकल्पिक चिकित्सा व्यवसाइयों के व्यवसाय को विनियमित करने के लिए मूल अधिनियम के कतिपय प्रावधानों को संशोधित करने की आवश्यकता प्रतीत हुई है, इस प्रयोजन के लिये यह विधेयक लाया जा रहा है.

2. अतएव यह विधेयक प्रस्तुत है.

रायपुर :
दिनांक : 24 जुलाई, 2001

कृष्ण कुमार गुप्ता
भारसाधक सदस्य.

उपाबंध

छत्तीसगढ़ चिकित्सा मंडल अधिनियम, 2001 (क्रमांक 7 सन् 2001)
की जिन धाराओं में संशोधन प्रस्तावित हैं, उनके उपबंधों की जानकारी

छत्तीसगढ़ चिकित्सा मंडल (संशोधन) विधेयक, 2001 द्वारा छत्तीसगढ़ चिकित्सा मंडल अधिनियम, 2001 (क्रमांक 7 सन् 2001) की जिन धाराओं में संशोधन प्रस्तावित है, उनके संबंध उपबंधों की जानकारी निम्नानुसार है :—

1. **विषय सूची का अध्याय-4**
मेडिकल डिप्लोमा स्कूल एवं मान्यता.

2. **विषय सूची का खण्ड-13**
प्रैक्टीशनर इन माडर्न मेडिसिन एवं सर्जरी शिक्षा के न्यूनतम मापदण्ड.

3. **विषय सूची का खण्ड-14**
नये मेडिकल डिप्लोमा स्कूल, पढ़ाई के नये विषय प्रारंभ करने की अनुमति आदि.

4. **विषय सूची का खण्ड-17**
मेडिकल डिप्लोमा स्कूलों का निरीक्षण.

5. **प्रस्तावना**
प्रैक्टीशनर इन माडर्न मेडिसिन एवं सर्जरी की शिक्षा तथा भेषज एवं शल्य चिकित्सा व्यवसाइयों के व्यवसाय को विनियमित करने हेतु राज्य में एक चिकित्सा मंडल की स्थापना करने के लिए विधेयक.

6. **धारा-2 की उप-धारा (ग)**
"चिकित्सा" से अभिप्रेत है, आधुनिक वैज्ञानिक चिकित्सा उसकी सभी शाखाओं सहित एवं इसमें शल्य चिकित्सा एवं प्रसूति विज्ञान शामिल है परन्तु पशु चिकित्सा एवं पशु शल्य चिकित्सा शामिल नहीं है.

7. **धारा-2 की उप-धारा (छ)**
''प्रैक्टीशनर इन माडर्न मेडिसिन एवं सर्जरी व्यवसायी'' से अभिप्रेत जैसे व्यक्ति से हैं, जिसे मंडल द्वारा प्रैक्टीशनर इन माडर्न मेडिसिन एवं सर्जरी दिया गया हो और जो चिकित्सा व्यवसाय करता हो.

8. **धारा-4 की उप-धारा (I) का खण्ड (ii)**
राज्य सरकार द्वारा नामनिर्देशित पांच सदस्य निम्नानुसार होंगे :—

9. **धारा-4 की उप-धारा (I) का खण्ड (ii)**
इंडियन मेडिकल एसोसिएशन छत्तीसगढ़ राज्य शाखा का एक प्रतिनिधि जो राज्य शाखा द्वारा प्रस्तावित पांच व्यक्तियों के पेनल में से नामनिर्दिष्ट किया जाएगा.

10. **धारा-12 की उप-धारा (2) का खण्ड (क)**
प्रैक्टीशनर इन माडर्न मेडिसिन एवं सर्जरी व्यवसाइयों के राज्य रजिस्टर का संधारण करना.

11. **धारा-12 की उप-धारा (2) का खण्ड (च)**
नवाचार, शोध एवं विकास को बढ़ावा देना तथा प्रैक्टीशनर इन माडर्न मेडिसिन एवं सर्जरी की शिक्षा की उन्नति की योजना बनाना:

12. **धारा-12 की उप-धारा (2) का खण्ड (छ)**
प्रैक्टीशनर इन माडर्न मेडिसिन एवं सर्जरी के की पढ़ाई, पाठ्यक्रम, पढ़ाई की सुविधाओं, प्रशिक्षण, परीक्षण एवं परीक्षाओं के लिए मापदंड, निर्धारित करना.

13. **धारा-12 की उप-धारा (2) का खण्ड (ज)**
प्रेक्टीशनर इन माडर्न मेडिसिन एवं सर्जरी के लिए अध्ययन शुल्क देने मापदण्ड और दिशा-निर्देश तय करना.

14. **धारा-12 की उप-धारा (2) का खण्ड (झ)**
किसी मेडिकल डिप्लोमा स्कूल को मान्यता देने के संबंध में राज्य सरकार को सलाह देना.

15. **धारा-12 की उप-धारा (2) का खण्ड (ञ)**
मेडिकल डिप्लोमा स्कूलों में विद्यार्थियों की भर्ती के संबंध में दिशा-निर्देश निर्धारण करना.

16. **धारा-12 की उप-धारा (2) का खण्ड (त)**
मेडिकल डिप्लोमा स्कूलों का निरीक्षण करना अथवा निरीक्षण करवाना.

17. **धारा-2 की उप-धारा (2) का खण्ड (थ)**
प्रैक्टीशनर इन माडर्न एवं सर्जरी पाठ्यक्रम की परीक्षाएं लेना और डिप्लोमा प्रदान करना.

18. **धारा-13**
मंडल छत्तीसगढ़ के मेडिकल डिप्लोमा स्कूलों द्वारा मान्यता प्राप्त योग्यता प्रदान किए जाने के लिए आवश्यक मेडिकल डिप्लोमा शिक्षा के न्यूनतम मापदण्ड विहित कर सकता है.

19. **धारा-14 की उप-धारा (1) का खण्ड (क)**
कोई व्यक्ति, को मेडिकल डिप्लोमा स्कूल स्थापित नहीं करेगा,

20. **धारा-14 की उप-धारा (1) का खण्ड (ख)**
कोई मेडिकल डिप्लोमा स्कूल

21. धारा-14 की उप-धारा (1) का स्पष्टीकरण 2:—
इस धारा के प्रयोजनों के लिए भर्ती की संख्या से अभिप्रेत है, किसी मेडिकल डिप्लोमा स्कूल में किसी पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण के संबंध में मंडल द्वारा समय-समय पर निर्धारित विद्यार्थियों की अधिकतम संख्या, जो उस पाठ्यक्रम अथवा प्रशिक्षण में भर्ती की जा सके.

22. धारा-14 की उप-धारा (2) का खण्ड (क)
उप-धारा (1) के अधीन राज्य सरकार से अनुमति प्राप्त करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति अथवा मेडिकल डिप्लोमा-स्कूल खंड 9 (ख) के प्रावधानों अनुरूप राज्य सरकार को एक योजना प्रस्तुत करेगा और राज्य सरकार उस योजना को मंडल की अनुशंसा के लिए उसे संदर्भित कर देगी.

23. धारा-14 की उप-धारा (3)
योजना प्राप्त होने पर मंडल संबंधित व्यक्ति या मेडिकल डिप्लोमा स्कूल से ऐसा अन्य विवरण प्राप्त कर सकता है जैसा कि वह आवश्यक समझे एवं उसके पश्चात् .

24. धारा-14 की उप-धारा (3) का खण्ड (क)
यदि योजना में कोई कमी है और उसमें आवश्यक विवरण नहीं है, तो संबंधित व्यक्ति अथवा मेडिकल डिप्लोमा स्कूल को लिखित अभ्यावेदन देने का समुचित अवसर प्रदान करेगा और वह व्यक्ति या मेडिकल डिप्लोमा स्कूल मंडल द्वारा बताई गई कमियां दूर कर सकेगा.

25. धारा-14 की उप-धारा (4)
राज्य सरकार योजना एवं उप-धारा (3) के अधीन मंडल की अनुशंसाओं पर विचार करने एवं जहां आवश्यक हो संबंधित व्यक्ति या मेडिकल डिप्लोमा स्कूल से अन्य आवश्यक विवरण, प्राप्त करने के पश्चात एवं उप-धारा (5) के उपबंधों पर ध्यान देते हुए या तो योजना का अनुमोदन (ऐसी शर्तों के साथ जैसी कि आवश्यक समझी जाएं) करेगी अथवा अनुमोदन करने से इंकार कर देगी और ऐसा अनुमोदन उप-धारा (1) के अधीन अनुमति माना जायेगा.

26. धारा-14 की उप-धारा (5) का खण्ड (क)
क्या प्रस्तावित मेडिकल डिप्लोमा स्कूल अथवा नवीन या उच्च पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण प्रारंभ करना चाहने वाला मेडिकल डिप्लोमा स्कूल मंडल द्वारा विहित किये गये मेडिकल डिप्लोमा शिक्षा के न्यूनतम मापदंड पूरे कर सकेगा.

27. धारा-14 की उप-धारा (5) का खण्ड (ख)
क्या प्रस्तावित मेडिकल डिप्लोमा स्कूल अथवा नवीन या उच्च पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण प्रारंभ करना चाहने वाले या भर्ती संख्या में वृद्धि चाहने वाले मेडिकल डिप्लोमा स्कूल के पास पर्याप्त वित्तीय संसाधन है.

28. धारा-14 की उप-धारा (5) का खण्ड (ग)
क्या स्टाफ, उपकरण, स्थान, प्रशिक्षण एवं अन्य सुविधाओं के रूप में मेडिकल डिप्लोमा स्कूल के संचालन नवीन पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण के संचालन या बढ़ी हुई भर्ती संख्या के लिए पर्याप्त सुविधाएं प्रदान कर दी गई हैं अथवा योजना में दी गई समयावधि में प्रदान कर दी जायेंगी.

29. धारा-14 की उप-धारा (5) का खण्ड (घ)
क्या मेडिकल डिप्लोमा स्कूल में भर्ती होने वाले विद्यार्थियों की संख्या या भर्ती संख्या में वृद्धि के फलस्वरूप पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण में भर्ती होने वाले विद्यार्थियों की संख्या ध्यान में रखते हुए पर्याप्त चिकित्सालय सुविधा प्रदान कर दी गई है अथवा योजना निर्धारित समय अवधि में कर दी जाएगी.

30. धारा-14 की उप-धारा (5) का खण्ड (ङ)
क्या मंडल द्वारा विहित किए गये व्यक्तियों से ऐसे मेडिकल डिप्लोमा स्कूल या पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण में भर्ती होने वाले विद्यार्थियों के उचित प्रशिक्षण की कोई व्यवस्था की गई है या कोई कार्यक्रम तैयार किया गया है.

31. धारा-14 की उप-धारा (5) का खण्ड (च)
मेडिकल डिप्लोमा व्यवसाय में लोगों की आवश्यकता.

32. धारा-14 की उप-धारा (6)
राज्य सरकार द्वारा इस धारा के अन्तर्गत योजना का अनुमोदन करने अथवा न करने का आदेश पारित करने पर, आदेश प्रतिलिपि संबंधित व्यक्ति अथवा मेडिकल डिप्लोमा स्कूल को संसूचित की जाएगी.

33. धारा-15 की उप-धारा (1)
यदि कोई मेडिकल स्कूल धारा-14 के प्रावधानों के अधीन राज्य सरकार की पूर्वानुमति के बिना स्थापित किया जाता है, तो ऐसे मेडिकल डिप्लोमा स्कूल के विद्यार्थियों को प्रदाय की जाने वाली कोई भी योग्यता इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए मान्यता प्राप्त योग्यता नहीं होगी.

34. धारा-15 की उप-धारा (2)
यदि कोई मेडिकल स्कूल नवीन अथवा उच्च पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण बिना धारा-14 के प्रावधानों के अधीन राज्य सरकार की पूर्वानुमति से प्रारंभ करता है, तो ऐसे मेडिकल डिप्लोमा स्कूल के किसी विद्यार्थी को ऐसे पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण के आधार पर प्रदान की गई कोई योग्यता इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए मान्यता प्राप्त योग्यता नहीं होगी.

35. धारा-15 की उप-धारा (3)
यदि कोई मेडिकल डिप्लोमा स्कूल किसी पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण में अपनी भर्ती की संख्या बिना धारा-14 के प्रावधानों के अधीन राज्य सरकार की पूर्वानुमति के बढ़ाता है, तो ऐसे मेडिकल डिप्लोमा स्कूल के किसी विद्यार्थी को ऐसी बढ़ाई गई भर्ती संख्या के आधार पर प्रदान की गई योग्यता इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए मान्यता प्राप्त योग्यता नहीं होगी.

36. धारा-16
प्रत्येक व्यक्ति या मेडिकल डिप्लोमा स्कूल जो मान्यता प्राप्त योग्यता प्रदान करता है मंडल को ऐसी जानकारी उपलब्ध करायेगा जो मंडल द्वारा समय-समय पर चाही जाए.

37. धारा-17
मंडल आवश्यक होने पर सभी मेडिकल स्कूलों का निरीक्षण करायेगा.

38. धारा-18 की उप-धारा (1) का खण्ड (क)
किसी मेडिकल डिप्लोमा स्कूल में पाठ्यक्रम अथवा परीक्षाएं.

39. धारा-18 की उप-धारा (1) का खण्ड (ख)
किसी मेडिकल डिप्लोमा स्टाप, उपकरण, स्थान और पढ़ाई तथा प्रशिक्षण की अन्य सुविधाएं मंडल द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार नहीं है, तो मंडल राज्य सरकार को इस प्रकार का एक अभ्यावेदन प्रस्तुत कर सकता है.

40. धारा-18 की उप-धारा (2)
इस अभ्यावेदन पर विचार करने के उपरान्त राज्य सरकार अभ्यावेदन में उल्लेखित बिन्दुओं के संबंध में मेडिकल डिप्लोमा स्कूल का स्पष्टीकरण राज्य सरकार जो समय सीमा उचित समझे उस समय सीमा में मांग सकती है.

41. धारा-18 की उप-धारा (3)
स्पष्टीकरण प्राप्त होने के पश्चात् अथवा निर्धारित की गई समय सीमा में स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं होने की स्थिति में राज्य सरकार ऐसी और जांच करके जैसी कि वह उचित समझे, राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित करके वह निर्देश दे सकेगी कि अनुसूची में उस योग्यता के समक्ष अंकित किया जाए कि वह योग्यता यदि विनिर्दिष्ट तिथि के पश्चात् प्रदान की जाने पर मान्यता प्राप्त योग्यता नहीं होगी.

42. धारा-20 की उप-धारा (3)
सचिव ऐसे रजिस्टर्ड व्यवसायी का नाम रजिस्टर से हटा सकेगा जिसकी मृत्यु हो गई हो, या जिसका नाम राज्य रजिस्टर से हटाने के निर्देश दिए गए हों, या जो प्रैक्टीशनर इन माडर्न मेडिसिन एवं सर्जरी व्यवसायी न रह गया हो.

43. धारा-22 की उप-धारा (च)

मेडिकल डिप्लोमा शिक्षा, शोध एवं प्रशिक्षण की उन्नति एवं विकास के लिए ऐसे खर्च जिन्हें मंडल ने मेडिकल डिप्लोमा व्यवसाय के सामान्य हित का घोषित किया गया हो.

44. धारा-25 की उप-धारा (1)

मंडल विहित रीति से मान्यता प्राप्त योग्यता रखने वाले मेडिकल डिप्लोमा व्यवसाइयों का एक रजिस्टर संधारित करवायेगा. जिसे राज्य रजिस्टर कहा जाएगा.

45. धारा-27 की उप-धारा (2)

धारा-26 के अन्तर्गत जिन कारणों से मंडल द्वारा रजिस्ट्रीकृत को रोका जा सकता है उन्हीं कारणों से मंडल किसी रजिस्ट्रीकृत मेडिकल डिप्लोमा व्यवसायी का नाम राज्य रजिस्टर से सदैव के लिए या विनिर्दिष्ट कालावधि के लिए हटाने का निर्देश दे सकेगा.

46. धारा-30 की उप-धारा (1)

कोई भी व्यक्ति जिसका नाम राज्य रजिस्टर में रजिस्ट्रीकृत न हो, न तो मेडिकल डिप्लोमा व्यवसायी के रूप में राज्य के भीतर व्यक्तिगत लाभ के लिए व्यवसाय करेगा और न ही प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से स्वयं को अभ्यसत: व्यवसायं करता हुआ प्रदर्शित करेगा.

47. धारा-32 की उप-धारा (1) का खण्ड (त)

राज्य मेडिकल डिप्लोमा स्कूलों में भर्ती का तरीका.

48. धारा-32 की उप-धारा (1) का खण्ड (थ)

प्रैक्टीशनर इन माडर्न मेडिसिन एवं सर्जरी पाठ्यक्रमों में परीक्षाएं लेने का तरीका.

49. अनुसूची

भेषज एवं शल्य चिकित्सा डिप्लोमा.

भगवानदेव ईसरानी
सचिव,
छत्तीसगढ़ विधान सभा.

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2001.